विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-28/2017

श्री रजनीश चौरड़िया, — आवेदक
प्रो0 – मेसर्स सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स,
ग्राम–भंवरासला,
जिला– इंदौर (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य सतर्कता अधिकारी, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड.,
जी.पी.एच. कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड,
इंदौर (म.प्र.) – 452003

पुनरीक्षित आदेश

(दिनांक 29.08.2020 को पारित)

01. श्री रजनीश चौरड़िया, मे. सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स, ग्राम–भंवरासला, जिला– इंदौर (म.प्र) ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर (संक्षेप में – फोरम) के समक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी, म0प्र0 पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (संक्षेप में – अनावेदक) के अधिकारियों द्वारा की गई बिजिलेंस चेकिंग के आधार पर जारी निर्धारण आदेश की राशि रू0 4,12,837/– विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) में कालबाधित होने से निरस्त किए जाने संबंधी के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की थी । प्रस्तुत शिकायत को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 से संबंधित होने के कारण माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में – माननीय आयोग) के विनियम के अनुसार अपने क्षैत्राधिकार से बाहर पाते हुए अपने पत्र क्रमांक 798 दिनांक 22.07.2017 से यथास्थिति में खारिज कर दिया गया था । श्री रजनीश चौरड़िया, मे. सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स (संक्षेप में – आवेदक) ने इसके विरूद्ध विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन दिनांक 08.08.2017

प्रस्तुत किया । अपील को प्रकरण क्रमांक एल00–28/2017 पर दर्ज उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत विद्युत लोकपाल द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.09.2017 से आवेदक के विरूद्ध निकाली गई रू0 4,12,837/– की रिकवरी निरस्त कर दी गई ।

02. विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश दिनांक 13.09.2017 के विरूद्ध म0प्र0 पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर द्वारा 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' के विनियम 5.3 के अन्तर्गत माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 04.07.2018 से विद्युत लोकपाल की नई सुनवाई कर अपने आदेश की समीक्षा हेतु निर्देशित किया है ।

माननीय आयोग ने अपने उक्त आदेश में निम्नानुसार टीप की है :–

4. In this case, following is observed:

(i) This case was registered by the Discom under Section 126 of the Electricity Act, 2003.

(ii) Clause 2.4(m) of the Regulations provides as under:

"Grievance" shall mean a dissatisfaction of the Consumer arising out of the failure of the Licensee to register or redress a Complaint and shall include any dispute between the Consumer and the Licensee with regard to any Complaint or with regard to any action taken by the Licensee in relation to or pursuant to a Complaint filed by the affected person. However, the matters falling within the purview of any of the following provisions of the Act will not form a grievance under these Regulations:

(i) Unauthorised use of electricity as provided under Section 126 of the Act;

(ii) Offences and penalties as provided under Sections 135 to 139 of the Act;

(iii) Compensation related to accident in the distribution, supply or use of electricity as provided under Section 161 of the Act; and

(iv) Recovery of arrears where the bill amount is not disputed.

(iii) Regarding the jurisdiction of the ECGRF & Ombudsman, the Clause 2.4(m) of the MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for Redressal of Grievance) is applicable.

5. *In view of the documents submitted before the Commission, it is observed that the recovery of Rs. 4,12,837/- pertains to the assessment made by the licensee under Section 126 of the Electricity Act, 2003. The Electricity Ombudsman decided the case after examining the merits of the case registered under Section 126 of the Electricity Act, 2003 which is beyond his jurisdiction. Also, the demand u/s. 126 is not covered under grievance as per Clause 2.4(m) of the Regulations. Therefore, the Commission directs the Electricity Ombudsman to review its order after conducting fresh hearings.*

प्रकरण से संबंधित तथ्य :–

i) फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत तथा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अपील के आधार पर यह निर्विवादित रूप से सिद्ध है कि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में – अधिनियम) की धारा – 126 के अन्तर्गत विद्युत के अवैधानिक उपयोग का है जिसके लिए धारा – 126 के अन्तर्गत निर्धारण आदेश जारी किया गया है । समीक्षा के अधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 के पैरा 19 (अ) में विद्युत लोकपाल ने भी इसकी पुष्टि की है और प्रकरण में आवेदक के अधिकृत ने भी सुनवाई दिनांक 07.01.2020 में प्रस्तुत अपने अंतिम लिखित कथन (Final Written Submission) के बिन्दु क्रमांक 17 में भी यह स्वीकार किया है जो निम्नानुसार उद्धृत है :–

<u>विद्युत लोकपाल आदेश दिनांक 13.09.2017</u> :–

"**11.** दिनांक 05.09.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई, जिसमें आवेदक के सलाहकार श्री आर.एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री आनंद अहिरवार, कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) एवं श्री अरविंद कुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री (सतर्कता), इंदौर उपस्थित हुए। अनावेदक द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार दस्तावेज तथा आवेदक की अपील पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक के सलाहकार को प्रदाय की गई। अनावेदक द्वारा प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपभोक्ताओं की नस्ती नहीं प्रस्तुत की।"

<u>आवेदक अधिवक्ता का अंतिम लिखित प्रस्तुतीकरण दिनांक 07.01.2020</u> :–

"17. That, the case was willful by the registering by Discom under sanction 126 of the Act 2003 without verifying the facts and record of D/C."

ii) ग्राम भवरासला तहसील – सांवेर जिला इन्दौर में आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर निम्न तीन निम्नदाब औद्योगिक (पावर लूम) कनेक्शन तीन भिन्न नाम में वर्ष 2005–06 में दिए गए थे ।

i) मेसर्स सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स, स0क्र0 420062–90–92–133760

ii) मेसर्स अक्षत टेक्सटाईल्स, स0क्र0 420062–90–92–175542

iii) मेसर्स सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी, स0क्र0 420062–90–92–133772

दिनांक 26.06.2009 को अनावेदक के कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) द्वारा की गई चेकिंग में उक्त कनेक्शनों को एक ही परिसर में एक ही निम्नदाब लाईन दिया जाना पाते हुए पंचनामा क्रमांक 2699/03 दिनांक 26.06.2009 बनाया गया तथा इस आधार पर विद्युत के अवैधानिक उपयोग के लिए अधिनियम की धारा – 126 के अन्तर्गत क्र0 1887 दिनांक 03.09.2009 से कुल 4,12,837/– रूपए की राशि के लिए निर्धारण आदेश जारी किया गया ।

iii) आवेदक ने फोरम एवं विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रकरण की धारा – 126 का नहीं होने बाबत् शिकायत/अपील प्रस्तुत की । इसमें आवेदक ने उक्त निर्धारण आदेश इसके जारी दिनांक से सात साल चार माह तक प्राप्त नहीं होने तथा इस बारे में प्रथम बार दिनांक 20.02.2017 को प्राप्त हुए अनावेदक कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) इन्दौर के पत्र से जानकारी प्राप्त होना सूचित किया । जारी होने के बाद सात साल चार माह तक निर्धारण आदेश तथा इसकी जानकारी प्राप्त न होने व इतने लंबे अंतराल तक अनावेदक पक्ष द्वारा बिलों में भी नहीं जोड़ने के आधार पर निर्धारण आदेश की राशि को अधिनियम की धारा 56(2) के अन्तर्गत कालबाधित होना बताते हुए इसे निरस्त करने तथा इसके विरूद्ध आपत्ति के साथ जमा की गई एक लाख रूपए की राशि वापस दिलवाए जाने की मांग की गई है ।

04. माननीय आयोग के आदेश के अनुपालन में प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 09.08.2018 को आयोजित की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। किन्तु तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedul) की गई और प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 25.06.2019 को प्रथम सुनवाई नियत की गई, किन्तु आवेदक के अधिकृत सलाहकारों द्वारा इस तिथी को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए सुनवाई बढ़ाने के निवेदन पर सुनवाई बढ़ाते हुए

17.07.2019 को नियत की गई एवं तत्पश्चात् 06.08.2019, 27.08.2019, 23.09.2019, 10.10.2019, 23.10.2019, 04.11.2019, 25.11.2019, 17.12.2019 एवं 07.01.2019 को सुनवाईयां आयोजित की गई ।

आवेदक लगातार 04.11.2019 तक की सुनवाईयों में अपने पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुआ तथा हर सुनवाई में यह सूचित करते हुए कि चूंकि उसके द्वारा 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' के नियम 5.3 और 5.4 के Vires को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में चेलेंज किया है । प्रकरण Sub-judice होने का तर्क देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक सुनवाई लंबित रखी जाने का लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहा । विद्युत लोकपाल द्वारा यह सूचित करने पर कि दोनों प्रकरण भिन्न प्रकृति के होने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किए जाने से प्रकरण में सुनवाई में कोई वैधानिक बाधा नहीं है और उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने पर एकपक्षीय कार्य नहीं करते हुए निर्णय लिया जावेगा, अन्ततः 25.11.2019 की सुनवाई में आवेदक की ओर से लिखित अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया गया कि उनका प्रकरण अधिनियम की धारा 126 की परिधि में नहीं आता है अतः धारा – 126 का आरोप हटाते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत आदेश की समीक्षा का आवेदन निरस्त किया जाए । अंतिम सुनवाई दिनांक 07.01.2020 में आवेदक अधिवक्ता की ओर से पेश अंतिम लिखित प्रस्तुति में यह बताते हुए कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जान बूझकर धारा – 126 में प्रकरण बताया है, आदेश की समीक्षा किए जाने बाबत् अनुज्ञप्तिधारी के आवेदक को निरस्त कर विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 13.09.2017 को यथोचित रखे जाने की मांग की ।

05. विभिन्न तिथियों में आयोजित सुनवाईयों में उभयपक्षों की ओर से ऐसा कोई तथ्य, साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया जो विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 13.09.2017 से संबंधित सुनवाईयों में प्रस्तुत नहीं किया गया था । पुराने तथ्यों/साक्ष्यों/तर्कों की पुनरावृत्ति करते हुए उभयपक्ष द्वारा मुख्य रूप से निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :–

<u>आवेदक</u> –

प्रकरण से संबंधित तीनों निम्नदाब औद्योगिक कनेक्शनों में से प्रत्येक कनेक्शन के लिए आवेदक द्वारा तत्समय प्रभावशील म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान अनुसार प्रस्तुत वैध अधिभागी का प्रमाण दिए जाने के उपरान्त, अलग–अलग मालिकों के नाम से अलग–अलग परिसरों में, प्रत्येक परिसर ईंट की दीवार के पक्के पार्टीशन से अलग किए गए थे और प्रत्येक परिसर के टीनशेड का

प्रवेश द्वारा अलग–अलग था, अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित अधिकारी द्वारा परिसरों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के उपरांत दिए गए थे, अतः प्रकरण धारा – 126 विद्युत के अवैधानिक उपयोग की परिधि में नहीं आता है ।

हमारा प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा – 126 से संबंधित नहीं होकर बिलिंग के विवाद का हैं जो 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' के विनियम 2.4(m) के अनुसार 'शिकायत' की श्रेणी में आता है और फोरम तथा लोकपाल के क्षैत्राधिकार में है ।

माननीय लोकपाल ने अनावेदक के अभिलेखों, अधिनियम की धारा – 126 का अवलोकन करने के पश्चात् दिनांक 13.09.2017 को पारित आदेश में यह निष्कर्ष प्राप्त किया ह कि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा – 126 का नहीं है और अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिए गए तीनों कनेक्शन वैधानिक रूप से उचित हैं ।

सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स के परिसर में 110 के.व्ही.ए. संविदा मांग के लिए अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), इन्दौर द्वारा दिनांक 30.09.2009 को स्वीकृत किया जाकर 07.01.2010 को प्रदान किया गया था । इसमें मेसर्स अक्षत टेक्सटाईल्स और मेसर्स सुरेन्द्र एण्ड कंपनी के कोई भी ये दो कनेक्शन अक्टूबर 2014 एवं अगस्त 2014 तक विद्यमान थे । दिनांक 07.01.2010 को उच्चदाब कनेक्शन दिए जाते समय किसी भी अधिकारी ने पूर्व में निम्नदाब कनेक्श्न देने में किसी अवैधता के बारे में नहीं बताया था ।

इनसे स्पष्ट है कि वितरण केन्द्र प्रभारी द्वारा दिए गए कनेक्शनों के परिसरों तथा अभिलेखों की यथोचित जांच के उपरांत ही सक्षम अधिकारी द्वारा म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानानुसार तथा म0प्र0 राज्य विद्युत मण्डल के परिपत्र क्रमांक 05–01/576 दिनांक 03.02.2000 को दृष्टिगत रखते हुए ही दिए गए थे । इस परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि :–

(i) Officers should verify the legal owner ship of the (legal occupancy) is established the connections are to be treated as having separate entity.

(ii) That the connections are owned by the different entities.

(iii) That to be verifying about the occupier of the premise's before releasing the connections.

(iv) In future the LT Industrial connections to be given after due verifications.

(v) Legal Occupier of the premises means the person who is legal occupier and is in lawful possession of the premises.

प्रकरण में निर्धारण आदेश दिनांक 30.09.2009 को जारी किया गया था किन्तु सात साल चार माह तक प्राप्त नहीं हुआ ना ही इस अवधि में इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई, ना ही निर्धारण आदेश की राशि को बिलों में जोड़ा गया । इस आधार पर निर्धारण आदेश की रू0 4,12,837/– की राशि अधिनियम की धारा – 56(2) में कालबाधित हो चुकी है और उसे निरस्त किया जावे तथा जमा की गई राशि का आगामी बिलों में समायोजित किया जाए ।

अनावेदक :–

(ए) प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 126 का होने के कारण विधिक प्रावधानानुसार फोरम को सुनने की अधिकारिता नहीं है, अतः प्रकरण माननीय फोरम द्वारा खारिज किया गया है । प्रकरण अधिनियम की धारा 126 के तहत अप्राधिकृत उपयोग का है, जिसके विरूद्ध धारा 127 मेंअपील की जा सकती है तथा प्रकरण में माननीय लोकपाल को उपभोक्ता के अभ्यावेदन पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।

(बी) 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' (संक्षेप में – फोरम/विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009) की कण्डिका 4.11(a) के प्रावधानानुसार इस प्रकरण पर सुनवाई किया जाना फोरम तथा विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि प्रश्नाधीन प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में – अधिनियम) की धारा 126 के अंतर्गत ही अन्तिम निर्धारण आदेश जारी किया गया है । अतः धारा 126 का प्रकरण होने के कारण इस पर सुनवाई किया जाना विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार से बाहर है । इसी विधिक प्रावधान के अनुसार फोरम ने आवेदक का वाद अस्वीकार किया है ।

(सी) फोरम/विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4 (m) के प्रावधान अनुसार धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण 'शिकायत' की परिधि में नहीं आते हैं इसलिए विद्युत लोकपाल को इनकी सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। इस तर्क के पक्ष में अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ की डिवीजन बेंच द्वारा रिट अपील क्र0 10/2012 कुतुबुद्दीन विरूद्ध म0प्र0प0क्षे0वि0वि0क0लि0 एवं

अन्य में दिनांक 17.01.2012 को पारित आदेश की प्रति दृष्टांत स्वरूप पेश की है इस आदेश के पैरा – 7 को अनावेदक ने अपने तर्क के समर्थन में उद्‌धृत किया है :–

Write Appeal No. 10/2012 Qutubuddin V/s MPPKVVCO Ltd. & other, Hon'ble High Court Bench, Indore.

Date of Order :- 17.01.2012

प्रतिवादी कम्पनी द्वारा वादी के परिसर में विजिलेन्स चेकिंग में अनाधिकृत विद्युत का उपयोग पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 (1) {संक्षेप में – अधिनियम} की धारा 126 के अन्तर्गत जारी आंकलित बिल रू0 5,06,056/– की राशि का भुगतान वादी से प्राप्त नहीं होने पर वादी के परिसर का विद्युत प्रदाय विच्छेदन किए जाने से क्षुब्ध होकर वादी ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर सिंगल बैंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की थी । माननीय सिंगल बेंच ने अपने आदेश में वादी को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (संक्षेप में – फोरम) के समक्ष जाने के लिए निर्देशित किया था । माननीय डिवीजन बेंच के इस आदेश दिनांक 17.01.2012 का पैरा – 7 निम्नानुसार उद्‌धृत है :–

"7. Before dealing with the question raised in this appeal, it would be appropriate to consider the relevant provisions of the Act. Section 42 (5) of the Act provides for establishment of a forum for redressal of grievances of the consumers, in accordance with the guidelines as may be specified by the State Commission. It provides that every distribution licensee shall, within six months from the appointed date or date of grant of licence, shall establish such forum. MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the Consumers) (Revision-I) Regulations, 2009 (for short, Regulations) provides for constitution of the Forum. Clause 2 (m) of the Regulations defines the term 'Grievance'. The definition of the term 'Grievance' specifically excludes from its ambit the 'unauthorized use of electricity', as provided under Section 126 of the Act. In the circumstances, the Forum established under Section 42 (5) of the Act is not empowered to deal with the grievances of the consumers regarding 'unauthorized use of

electricity', as provided under Section 126 of the Act. As would be clear from the pleadings raised by the parties, the disconnection of the electricity connection in question is not on account of any other dues, but is ordered on account of nondeposit of the amount assessed by way of provisional assessment order dated 07.08.2007. Having regard to this position, in our considered view, the learned Single Judge has committed an error in relegating the appellant to the Grievance Redressal Forum for redressal of his grievance impugned before the writ Court. We are of the view that the grievance of the appellant is relating to the provisional assessment order passed on the basis of alleged unauthorized use of electricity and for redressal of the said grievance, the appellant cannot be directed to approach the Forum, as the said grievance cannot be adjudicated by the said Forum.

(डी) विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण में धारा 56 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर डिवीजन बैंच ने रिट अपील नं0 494/2015 मप्रपक्षेविविकलि विरूद्ध मे0 नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्ड0 लिमिटेड एवं अन्य में अपने आदेश दिनांक 22.06.2016 में निर्णीत किया है । डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में सिंगल बैंच के रिट याचिका क्रमांक 2814/2015 में दिनांक 28.07.2015 को पारित आदेश, जिसमें धारा 126 के प्रकरण में धारा 56(2) लागू होने संबंधी निर्णय दिया था, को रद्ध किया है । अनावेदक द्वारा इन दोनों आदेशों की प्रति अपने तर्क के समर्थन में दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत की है तथा आदेश दिनांक 22.06.2016 के पैरा – 33 को अनावेदक ने अपने तर्क के समर्थन में उद्धृत किया है :–

<u>रिट अपील क्रमांक 494/2015, म0प्र0प0क्षे0 विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य विरूद्ध मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य माननीय डिवीजन बेंच, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर आदेश दिनांक 22.06.2016</u>

याचिकाकर्ता (रिट याचिका क्र0 2814) 2015 में प्रतिवादी) ने उनके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में जारी रू0 49,30,64,654/– के अंतिम निर्धारण आदेश को रद्द करते हुए प्रकरण को अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत पुनर्विचार किए जाने के रिट कोर्ट के आदेश दिनांक 28.07.2015 के विरूद्ध अपील दायर की थी। माननीय डिवीजन बेंच

के इस अपील पर दिए गए आदेश दिनांक 22.06.2016 के पैरा – 32 में धारा 56 की उपधारा 56(1) एवं 56(2) को उद्धृत किया है तथा पैरा – 33 के प्रारंभिक अंश में धारा 56 के प्रभाव क्षैत्र (Sphere of influence) के बादे में निम्नानुसार निर्णायक टीप दी है :–

"33. From perusal of the above section, it clearly shows that it deals with the disconnection of supply in default of payment. The appellant's case has never been that the electricity connection given to the premise of National Steel should be disconnected for default of payment. The case of the appellants is specific that there has been unauthorised use of electricity with the meaning of Section 126 when national Steel had drawn power from the Grid using both the connections i.e. ***Connection no.1*** *and* ***Connection no.2*** *whereas* ***Connection no. 2*** *is clearly intended only for export of power."*

(ई) *प्रश्नाधीन प्रकरण में धारा 126 के अंतर्गत जारी अन्तिम निर्धारण आदेश की राशि की वसूली अधिनियम की धारा 56(2) के अंतर्गत कालबाधित नहीं होती है । अनावेदक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निम्न निर्णयों की प्रतियां तथा आदेश दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत की है ।*

i) **रिट क्रमांक 61204 आफ 2015, श्याम फेरस लि0 विरूद्ध उ0प्र0 शासन एवं 6 अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आदेश दिनांक 23.12.2015**

"Before parting we would mention that much emphasis has been laid that Section 56(2) of Electricity Act 2003 has been contextually misinterpreted whereas it has limited application only to the extent of disconnection and this Court in the case of Paliwal Alloys Pvt. Ltd. Vs. U.P. Power Corporation Ltd and others has failed to consider the said provision in its correct perspective and for this purpose reliance has been placed on the judgement of Bombay High Court in the case Awadesh S. Pandey Versus Tata Power Corporation Limited and others AIR 2007 Bom 52. Relevant para nos. 7 and 8 are being extracted below:-

7. We then come to the next issue as to whether the demand made by respondent No. 1 is contrary to the provision of Section 56 of the Electricity Act. We have already narrated the facts. The Electricity Ombudsman by his order of 18th July, 2006

held that the respondent No. 1 is entitled to recover past dues by correcting multiplying factor. The question posed by the Electricity Ombudsman to itself was whether the recovery could be made for the entire period of 26 months i.e. for a period from October, 2003 to November,2004 and that too belatedly in January, 2006. After considering the various provisions including the regulations, the Ombudsman held. Only those charges for a period of two years previous to the demand could be recovered and that the arrears for the consumption in January, 2004 became first due in February, 2004 as supplementary bill was raised in 2006 and these dues having been within two years are recoverable under the provisions of Section 56(2) of the Electricity Act.

Submission of counsel for the petitioner is that the provisions of Section 56 do not empower respondent No. 1 to recover any amount if the period of two years has elapsed no can electricity supply be cut off for nonpayment of those dues. In other words what is sought to be contended is that if the demand or part of the demand is time barred the provisions of Section 56 would not be attracted. We are afraid, we cannot subscribe to that proposition. Section 56(1) is a special provision. Enabling the generating company or the licensee to cut-off supply of electricity until such charges or sum as demanded under Section 56(1) is paid. Relying on Sub-section (2). It was strenuously urged that Section 56(1) cannot be resorted to after the period of two years from the date when such demand became first due. In our opinion. Sub-section (2) only provides alimitation, that the recourse to recovery by cutting of electricity supply is limited for a period of two years from the date when such sum became due. As long a sum is due, which is within two years of the demand and can be recovered, the licensee of the generating company can exercise its power of coercive process of recovery by cutting of electricity supply. This is a special mechanism provided to enable the licensee or the generating company to recover its dues expeditiously. The Electricity Act has provided that mechanism for improvement of supply of electricity and to enable the licensee or generating company to recover its dues. Apart from the above mechanism, independently it can make recovery by way of a suit. In our opinion. therefore, the impugned order passed by the Electricity Ombudsman does not

suffer from any error apparent on the face of the record and consequently there is no merit in this petition."

(ii) **LPA No. 605 of 2009, मे0 अन्टार्कटिक इण्डस्ट्रीज एवं अन्य विरूद्ध पंजावब राज्य विद्युत मण्डल एवं अन्य सहित 18 अन्य एल0पी0ए0**

माननीय पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय चण्डीगढ़, आदेश दिनांक 09.09.2011

कुल 19 एलपीए में संयुक्त रूप से दिए गए आदेश दिनांक 09.09.2020 के प्रश्नाधीन प्रकरण से संबंधित अंश निम्नानुसार उद्घृत हैं :–

"Another argument raised by learned counsel for the appellants, common to both set of cases, is that in terms of Section 56 of the Act the Board can claim arrears of the electricity charges for a period of two years alone. It is contended that the bill for the supply of electricity were issued between the months of March to October, 2008 but with effect from 01-04-2004 i.e. for the period exceeding two years. Therefore, such recovery is not tenable. We find that in the writ petitions, no such assertion based upon Section 56 of the Act has been made. Even otherwise, we find that section 56 of the Act has been made. Even otherwise, we find that Section 56 of the Act deals with power of disconnection of supply in default of payment of the electricity charges without prejudice to the rights of the Licensee in a suit. The bar under sub-section 2 of Section 56 of the Act is in respect of the action under the aforesaid Section. Therefore, Section 56 of the Act is a provision which given right to the Board to recover the arrears of electricity on the threat of disconnection of the supply. Such arrears are restricted for a period of two years, but it does not wipe off the recovery of arrears for more than two years. The right to recover arrears by way of suit has been specifically protected. Therefore, whether the electric supply can be disconnected in terms of Section 56 on the basis of arrears claimed, require verification of the facts. Therefore, we give liberty to the consumers to submit representation, if so advised, in respect of claim of arrears for a period exceeding two years. As and when such representations are filed, the Board shall consider the same and

initiate appropriate proceedings for recovery either in terms of Section 56 of the Act or in other manner authorized by law."

iii) **<u>रिट पिटीशन नं0 204 वर्ष 2014 श्री ओमप्रकाश पालीवाल विरूद्ध CESC लि0 माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता, आदेश दिनांक 21.11.2014</u>**

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण में दिनांक 21.11.2014 को पारित आदेश के प्रश्नाधीन प्रकरण से संबंधित अंश निम्नानुसार उद्धृत हैं :–

"16. The point of limitation raised by the writ petitioner is also without any basis. True the assessment on account of unauthorized use of electricity was of 2007. The electric supply to the Respondent No. 3 stood disconnected in 2007. The licensee had no address to raise the bill for the unauthorized use of electricity on the respondent No. 3, 5, 56(2) and the period of limitation laid down therein, does not help the writ petitioner, in my view, on at least on two counts. Firstly, it is not the case of the writ petitioner that, notwithstanding the licensee having knowledge of the address at which to raise the bill for the unauthorized use of electric supply by the Respondent No. 3, the Licensee did not do so for a period in excess of two years.

The licensee raised its demand and disconnected electric supply to the writ petitioner immediately upon finding the writ petitioner to consume electricity at the present address. Secondly, S. 56 does not envisage a scenario where the consumer is guilty of unauthorized use of electric supply. Consequently, Sub-S. (2) of S 56 will not apply to the facts of this case.

(एफ) उक्त दृष्टांतों एवं तर्कों के आधार पर आवेदक का निवेदन है कि अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का प्रकरण होने के कारण इसमें विद्युत लोकपाल को क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है, अतः प्रकरण निरस्त किया जाए ।

07. प्रस्तुत अपील तथा उभयपक्षों के प्रस्तुत कथन/साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वाद का बिन्दु अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध अधिनियम की धारा 126 'विद्युत के अनाधिकृत उपयोग' के लिए निकाली गई राशि से संबंधित है । जहां एक ओर आवेदक ने यह राशि धारा 126 के अंतर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में जारी निर्धारण आदेश से संबंधित होना स्वीकार करते हुए

इस राशि को अधिनियम की धारा 56(2) मे कालबाधित बताते हुए निरस्त किए जाने संबंधी तर्क प्रस्तत किया है, अनावेदक ने प्रकरण को मूलतः धारा 126 से संबंधित बताते हुए लोकपाल के क्षैत्राधिकार के बाहर होने, धारा 56(2) के प्रावधान लागू नहीं होने संबंधी तर्क प्रस्तुत किए हैं ।

08. प्रस्तुत अपील में दिए गए तथ्यों, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/किए गए कथनों का विद्युत अधिनियम 2003, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा फोरम/विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के आधार पर तथा माननीय आयोग के आदेश दिनांक 22.10.2018 में माननीय आयोग द्वारा दी गई टिप्पणियों के प्रकाश में प्रकरण की निम्नानुसार विवेचना की गई :–

(ए) उभयपक्षों द्वारा धारा 56(2) के संदर्भ में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस धारा का अवलोकन किया गया ।

56. Disconnection of supply in default of payment. -

(1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving not less than fifteen clear day's notice in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer:

Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such persons deposits, under protest,-

(a) an amount equal to the sum claimed from him, or

(b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months,

Whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licenses.

(2) Notwithstanding anything contained an any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

उक्त धारा 56 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसकी उपधारा 56 (1) अनुज्ञप्तिधारी को अपने वसूली योग्य राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर विद्युत उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विद्युत प्रदाय बंद किए जाने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु इसके साथ ही उपधारा 56 (2) अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिभार के प्रयोग से उस स्थिति में वंचित करता है जबकि वसूली योग्य रकम में तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है, 2 वर्ष की कालावधि के पश्चात् वसूली किए जाने योग्य नहीं होगी । जब तक ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो । इस उपधारा में रकम की वसूली कालबाधित होने संबंधी प्रस्तुत परिदृश्य के विस्तार एवं प्रभाव क्षैत्र (Sphere of influence) की मर्यादा केवल धारा 56 के प्रावधान अर्थात् ''भुगतान न करने पर विद्युत प्रदाय का विच्छेदन'' तक ही सीमित रखी गई है ।

अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा तथा माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा क्रमशः WP 61204/2015, LPA No. 605/2009 & 18 अन्य और WP 204/2014 में पारित आदेशों के प्रस्तुत दृष्टांतों के अवलोकन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है कि धारा 56(2) में राशि कालबाधित होने पर केवल अनुज्ञप्तिधारी को धारा 56(1) में राशि की वसूली हेतु उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने का प्रदत्त अधिकार कालबाधित होता है, किन्तु यह राशि या इस राशि की अन्य उपलब्ध विधि विकल्पों के अन्तर्गत वसूली कालबाधित नहीं होती है।

(बी) अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका क्रमांक 204/2014 में दिनांक 21.11.2014 को पारित आदेश का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि धारा 126 के प्रकरणों पर धारा 56(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस संबंध में आदेश के पैरा 16 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने केवल धारा 56(2) में विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होने संबंधी टिप्पणी की है । इससे स्पष्ट है कि धारा 126 के प्रकरणों पर भी धारा 56(2) के प्रावधान पूर्ण प्रभाव के साथ लागू होते हैं ।

(सी) अनाधिकृत विद्युत उपयोग के लिए धारा 126 के अन्तर्गत आरोपित राशि के धारा 56(2) में प्रस्तुतीकरण संबंधी आवेदक की अपील पर विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई कर निर्णय लिए जाने के क्षैत्राधिकार के प्रश्न पर आवेदक और अनावेदक द्वारा फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4(m) एवं 4.11(a) तथा अधिनियम की धारा 56(2) के संदर्भ में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं । इस विनियम की कण्डिका 2.4(m) एवं 4.11(a) निम्नानुसार उद्धृत हैं :–

2.4.(m) *Grievance‖ shall mean a dissatisfaction of the Consumer arising out of the failure of the Licensee to register or redress a Complaint and shall include any dispute between the Consumer and the Licensee with regard to any Complaint or with regard to any action taken by the Licensee in relation to or pursuant to a Complaint filed by the affected person. However, the matters falling within the purview of any of the following provisions of the Act will not form a grievance under these Regulations:*

(i) Unauthorised use of electricity as provided under Section 126 of the Act;

(ii) Offences and penalties as provided under Sections 135 to 139 of the Act;

(iii) Compensation related to accident in the distribution, supply or use of electricity as provided under Section 161 of the Act; and

(iv) Recovery of arrears where the bill amount is not disputed.

4.11 *The Electricity Ombudsman shall discharge the following functions:*

(a) May receive and consider all representations filed by the Complainant for non-redressal of the grievance by the Forum under Sub-section (5) of Section 42 of the Act. Notwithstanding the above the Ombudsman shall not entertain any representation in

regard to the matters which are subject matters of existing or proposed proceedings before the Commission or before any other authority including those under part X, XI, XII, XIV,XV and XVI of the Act.

इस संबंध में इन कण्डिकाओं और धारा 56 के प्रावधानों, जो इस आदेश के क्रमशः पैरा 3 (c), 3(d) एवं 8(ए) में वर्णित हैं, का अवलोकन किया गया । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत वाद धारा – 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के लिए आरोपित राशि की वसुली से संबंधित है । इस परिप्रेक्ष्य में उक्त कण्डिकाओं और धारा 56 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि धारा – 126 के प्रकरणों पर धारा 56(1) एवं 56(2) के प्रावधान लागू होते हैं तथापि वाद की राशि मूलतः धारा – 126 के अन्तर्गत प्रावधानित विद्युत के अनाधिकृत उपयोग से सीधे तौर पर सम्बद्ध होने से प्रश्नाधीन प्रकरण की विषय वस्तुत धारा 126 के विस्तार क्षैत्र के अन्तर्गत आती है और कण्डिका 2.4(m) के प्रावधान अनुसार यह फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 के अन्तर्गत 'शिकायत' के रूप में मान्य नहीं की जा सकती है वहीं कण्डिका 4.11(a) के प्रावधान अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण पर विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई कर समुचित निर्णय लिया जाना उनके क्षैत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है ।

09. उक्त विवेचना से प्रकरण में निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

(i) जहां अधिनियम की धारा 126 के प्रकरणों में जारी निर्धारण आदेश की राशि पर भी धारा 56 के प्रावधान लागू होना सिद्ध होता है वहीं दूसरी ओर यह भी सिद्ध होता है कि धारा 56(2) के प्रावधान केवल 56(1) में अनुज्ञप्तिधारी को अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय का विच्छेदन करने के प्रदत्त अधिकार को ऐसी राशि कालबाधित होने पर सीमित करता है किन्तु ऐसी राशि या इसकी वसूली को कालबाधित करते हुए निरस्त नहीं करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारा 126 में जारी निर्धारण आदेश की राशि वसूली हेतु कालबाधित मानते हुए इस राशि को निरस्त करने का निर्णय देते हुए आदेश दिनांक 22.02.2018 पारित करने में विद्युत लोकपाल से धारा 56(2) के प्रावधानों की समुचित वैद्यानिक व्याख्या करने में भूल हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पारित आदेश में वैधानिक त्रुटि कारित हुई है ।

(ii) अधिनियम की धारा 126 – विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में जारी निर्धारण आदेश की राशि पर उक्त स0क्र0 1 में प्राप्त निष्कर्षों अनुसार धारा 56(2) के प्रावधान लागू होने के बाद भी फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4 (m) के प्रावधान अनुसार इस राशि का धारा 56(2) में किया गया प्रस्तुतीकरण 'शिकायत' की परिधि में नहीं आता है तथा संहिता की कण्डिका 4.11(a) के प्रावधान अनुसार ऐसे प्रकरणों पर सुनवाई कर समुचित निर्णय पारित किया जाना फोरम एवं विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आना सिद्ध होता है ।

(iii) उक्त स0क्र0 01 एवं 02 में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्ध होता है कि विद्युत लोकपाल द्वारा आदेश दिनांक 13.09.2017 को पारित करने में संहिता की कण्डिका 2.4(m) एवं 4.11(a) तथा अधिनियम की धारा 56(2) के प्रावधानों की समुचित वैधानिक व्याख्या करने में भूल हुई जिसमें पारित आदेश में स्पष्ट वैधानिक त्रुटि कारित हुई । अतः इस आदेश को अकृत एवं शून्य (Null & Void) घोषित किया जाना न्यायोचित होगा ।

10. प्रकरण में प्राप्त उक्त निष्कर्षों के आधार पर विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 13.09.2017 को अकृत एवं शून्य (Null & Void) घोषित करने का निर्णय लिया जाता है तथा आवेदक की अपील बिना किसी निर्णय के खारिज की जाती है ।

11. इसके साथ ही माननीय आयोग के आदेश दिनांक 04.07.2018 का पालन होने के साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त होता है ।

12. माननीय आयोग के आदेश दिनांक 04.07.2018 के पालन प्रतिवेदन स्वरूप इस आदेश की एक प्रति सचिव, म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को पृथक से प्रेषित हो।

13. उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार एवं फोरम अलग से सूचित हों।

विद्युत लोकपाल